रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1991/फाल्गुन 1, 1912
No. 69] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1991/PHALGUNA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, फरवरी 20, 1991

सा.का.नि. 83(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कंडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1991 का अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. पी आर-12012/14/90-जी. ई I]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

प्रतिरूप विनियम का प्रारूप

कंडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1991

कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:— (1) ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1990 कहे जायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :— ये अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) के खंड (क) द्वारा रक्षित सभी पदों को लागू होंगे।

3 परिभाषा :— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है।

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन उस पद पर नियुक्ति करने हेतु सक्षम हों,

(ग) "बोर्ड", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" तथा "विभाग प्रमुखों" से वही अभिप्रेत है जो उन्हें इस अधिनियम के अधीन क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

(घ) "सीधी भर्ती से नियोजित व्यक्ति" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको द्वारा सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने पर परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनो के आधार पर विभाग प्रमुख के पद पर भर्ती की गई हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी समाविष्ट है जो पहले से ही बोर्ड की सेवा में है और जिसे सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने पर ऐसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई हो और उसे चुन लिया गया हो।

(ङ) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(च) "अनुसूचित जाति" तथा "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ होगा जैसा कि भारतीय संविधान की धारा 366 के खंड (24) तथा (25) में उनके लिए निर्धारित किया गया है।

(छ) "चयन पद" से एक ऐसा पद अभिप्रेत है जिस पर गुणागुण के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

(ज) "चयन समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसे विभाग प्रमुख के पद पर उम्मीदवार के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती के लिए संस्तुति करने के प्रयोजनार्थ विनियम 11 के अधीन गठित किया गया हो।

(झ) "सदृश पद" से एक ऐसा पद अभिप्रेत है जिसके कार्य और उत्तरदायित्वों का स्तर और/अथवा वेतन की श्रेणियां उस पद के सदृश हैं जिस पर चयन किया जाना है।

(ट) "परिवीक्षाधीन कर्मचारी" से ऐसा पदधारी अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन परिवीक्षा में उस पद पर नियुक्त किया गया हो तथापि जिसके मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने से संबंधित आदेश अभी तक न जारी किए गए हों।

4. नियुक्ति :—विभाग प्रमुखों के उन पदों पर, जिन पर ये विनियम लागू होते हैं सभी नियुक्तियां इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ये नियुक्तियां या तो कर्मचारी की प्रोन्नति, स्थानांतरण/अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

5. भर्ती की पद्धति :— विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताएं, अनिवार्य और/अथवा वांछनीय न्यूनतम अनुभव संबंधी अपेक्षाएं, पदों का चयन, पदों के रूप में वर्गीकरण तथा अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची में दर्शाई गई हैं :—

परन्तु निर्धारित उच्चतर आयुसीमा में निम्नवत् छूट दी जा सकती है :—

(i) जहां न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित है वहां 5 वर्ष और जहां न्यूनतम अनुभव 5 से 9 वर्ष निर्धारित है वहां केन्द्र सरकार द्वारा 3 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।

(ii) जहां तक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का संबंध है केन्द्र सरकार के ऐसे आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकेगी जो तद्धीन सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के पक्ष में समय-समय पर जारी किए गए हैं।

परन्तु आगे यह भी कि अगर कोई उम्मीदवार अन्य प्रकार से योग्य तथा सुअर्हित पाया जाता है तो निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं ठोस तथा पर्याप्त कारणों से केन्द्र सरकार द्वारा शिथिल की जा सकती हैं।

6. परिवीक्षा—(1) अनुसूची के कालम 2 मे विनिर्दिष्ट विभाग प्रमुख के पद पर चाहे सीधी भर्ती से अथवा प्रोन्नति अथवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति विनियम-8 के उप विनियम (2) तथा उप विनियम (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा। (2) अगर नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो परिवीक्षाकाल विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ा सकता है तथापि बढ़ाई गई कुल अवधि परिवीक्षा हेतु निर्धारित प्रारंभिक अवधि से अधिक नहीं होगी सिवाय इसके कि कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय अथवा कानूनी कार्रवाहियों के लंबित रहने के कारण कुल अवधि का बढ़ाया जाना अनिवार्य न हो गया हो।

7. स्थायीकरण—(1) विभाग प्रमुख के पद पर परिवीक्षाधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाने तक अपनी परिवीक्षा पूरी कर लेने पर नियुक्ति प्राधिकारी तत्संबंधी अपना अनुमोदन प्रदान करेगा। साथ ही वह व्यक्ति उस पद पर स्थायी किए जाने का अधिकारी भी होगा सिवाय कि उसके द्वारा बोर्ड के अधीन पूर्वतम संभाले गए निम्नतर पद पर उसे स्थायी न कर दिया गया हो।

(2) जब तक कोई परिवीक्षाधीन विभाग प्रमुख स्थायी नहीं किया जाता/इस विनियम के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाने तक जिसका परिवीक्षाकाल पूर्ण किया जाना घोषित नहीं किया जाता अथवा उसे विनियम 8 के अधीन सेवामुक्त अथवा पदावनत नहीं किया जाता तब तक उसे परिवीक्षाधीन कर्मचारी की हैसियत मिलती रहेगी।

8. परिवीक्षाधीन विभाग प्रमुख का सेवा मुक्त अथवा पदावनत होना—

(1) विभाग प्रमुख के पद पर परिवीक्षाधीन नियुक्त किया गया ऐसा व्यक्ति जिसका अन्य किसी भी पद पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं है तो उसे परिवीक्षा-काल के दौरान उसके निष्पादन अथवा आचरण के आधार पर किसी भी समय सेवा से हटाया जा सकता है। उसे सेवा में आगे रखे जाने हेतु अयोग्य समझा जा सकता है।

(2) परिवीक्षाधीन कोई विभाग प्रमुख जो किसी पद पर ग्रहणाधिकार रखता है उसे उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी भी समय पदावनत किया जा सकता है।

(3) परिवीक्षाधीन विभाग प्रमुख जिसे स्थायी करने हेतु योग्य नहीं समझा गया हो अथवा जिसने विनियम 6 में निर्धारित परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान हो जाने तक परिवीक्षा पूर्ण नहीं की है उसे उप विनियम (1) अथवा उप विनियम (2) के अनुसार सेवामुक्त अथवा पदावनत, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

9. सीधी भर्ती हेतु आवेदन—उम्मीदवार को ऐसी तारीख से पूर्व, ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप पर जिसे अध्यक्ष महोदय समय-समय पर निर्धारित करें, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन करना होगा। साथ ही, जैसा अध्यक्ष महोदय आवश्यक समझे उसे अपनी आयु, अर्हताएं अथवा अनुभव संबंधी वैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

10. सीधी भर्ती हेतु पात्रता अथवा अर्हताएं:—

(1) विभाग प्रमुख के पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्रता पाने के लिए उम्मीदवार ऐसा हो जो—

(क) भारतीय नागरिक, अथवा

(ख) नेपाल का नागरिक, अथवा

(ग) भूटान का नागरिक हो, अथवा

(घ) कोई तिब्बती अथवा शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप बसने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, अथवा

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने स्थायी रूप से भारत में बसने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केन्या, युगांडा अथवा संयुक्त गणराज्य टांजानिया (पहले जिनका नाम टांगानिका तथा जंजीबार था) के पूर्व अफ्रीकी देशों से देशांतरण किया हो।

परन्तु अगर कोई उम्मीदवार प्रवर्ग (क) से संबंधित है तो उसे अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित वे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित किए गए हों।

परन्तु आगे और भी कि प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित उम्मीदवार को वैसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(2) वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी ग्रेड अथवा पद, जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, पर नियुक्ति के पात्र नहीं हैं:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू होने वाले निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और यदि ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह इस उप विनियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

(3) उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान किया जाना चाहिए कि उसका चरित्र तथा पूर्ववृत्त ऐसे हैं जो उसे संबंधित ग्रेड अथवा पद हेतु योग्य बनाते हैं। ऐसा कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसे न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध में शामिल माना गया हो अथवा जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो।

(4) अगर कभी ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी उम्मीदवार ने इस विनियम की सभी अथवा किसी भी अन्य आवश्यकताओं का समाधान किया है अथवा नहीं तो उसका निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाएगा।

(5) केन्द्र सरकार उप विनियम की किसी भी आवश्यकता का आशोधन अथवा अधित्यजन कर सकती है जबकि किसी विशेष प्रकार के कार्य हेतु नियुक्ति की जानी है और इन विनियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने योग्य उम्मीदवार प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं होता।

(6) उम्मीदवार की शारीरिक योग्यता: उस उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई भी शारीरिक खामियां भी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण विभाग प्रमुख के रूप में उसके कार्य-निष्पादन में कोई बाधा आए। ऐसे किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य परीक्षा में इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता परन्तु अगर वह उम्मीदवार पहले से ही बोर्ड अथवा अन्य किसी केन्द्र सरकार के संगठन में सेवारत हो तो उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं है।

11. चयन समिति—(1) एक चयन समिति रची जाएगी जो विभाग प्रमुख के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन करने से संबंधित मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी को सलाह तथा सहायता देगी।

(2) यह चयन समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से बनायी जाएगी, अर्थात् :—

(i) भारत सरकार, जलभूतल परिवहन मंत्रालय के अवर सचिव/संयुक्त सचिव —अध्यक्ष

(ii) अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य

(iii) ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे पर्याप्त अनुभव हो उसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है —सदस्य

12. भर्ती की पद्धति—(1) जब कभी ऐसा कोई विभाग प्रमुख का पद रिक्त होता है जिस पर ये विनियम लागू होते हैं और जिसे प्रोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है तो अध्यक्ष पद पर पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति हेतु सभी पात्र अधिकारी के नाम, आयु, अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य सुसंगत विवरण अपनी सिफारिश सहित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे और जब कभी अनुसूची में प्रतिनियुक्ति का भी प्रावधान हो और अगर अध्यक्ष आवश्यक समझे अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिए गए हों तो अन्य महापत्तनों/केन्द्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रम एककों/स्वायत्तशासी निकायों से भी पात्र उम्मीदवारों के आवेदन मंगाए जा सकते हैं।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर चाहे तो—

(i) इस प्रकार प्रायोजित किए गए उम्मीदवारों में से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी की नियुक्ति कर सकता है, अथवा

(ii) वह उम्मीदवारों की उस चयन समिति को जिसका उल्लेख विनियम 11 में किया गया है, मामले की समीक्षा करने, तथा उचित सिफारिश देने के निदेश सहित निर्दिष्ट करेगा और बाद में उस सिफारिश के आधार पर प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त करेगा अथवा

(iii) निदेश देगा कि इन विनियमों में निर्धारित प्रकार से सीधी भर्ती द्वारा इस रिक्ति को भरा जाए।

(2) चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती से सभी नियुक्तियां की जाएंगी, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी विशेष मामले में उसके कारणों को लेखबद्ध करके ऐसी सिफारिश अस्वीकार करे।

13. पदों का विज्ञापन—सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को विज्ञापित किया जाएगा और उस विज्ञापन की एक प्रति स्थानीय रोजगार कार्यालय को भेजी जाएगी।

14. अनुयाचना का अवलंबन निरर्हता माना जाएगा—विभाग प्रमुख के किसी भी पद जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, पर नियुक्ति हेतु किये गये आवेदन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः अनुयाचना का अवलंबन लेने का कोई भी प्रयास अगर व्यक्ति, अथवा उसके रिश्तेदारों अथवा मित्रों द्वारा किया जाता है है तो उस व्यक्ति को नियुक्ति के लिए निरर्हित व्यक्ति माना जाएगा।

15. तथ्यों का अधिक्रमण—किसी भी उम्मीदवार के बारे में अगर यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसे विवरण प्रस्तुत किए हैं जो गलत है अथवा चरित्र से संबंधित ऐसी आवश्यक सूचना छिपाई है, जिसके ज्ञात हो जाने से वह सामान्यतः बोर्ड की सेवा में नियुक्ति पाने से वंचित हो जाता, तो वह निरर्हता का पात्र होगा और अगर उसे नियुक्ति मिल गई होगी तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

16. सीधी भर्ती हेतु वर्तमान कर्मचारियों की पात्रता—अगर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों को विज्ञापित किया जाता है तो पहले से ही सेवारत कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव हों।

17. नियुक्ति आदेशों का निरस्तीकरण—अगर किसी पद पर सीधी नियुक्ति के लिए चुना गया कोई उम्मीदवार नियुक्ति आदेश में उल्लिखित तारीख के अन्दर और अगर उसमें ऐसी किसी तारीख का उल्लेख न हो तो नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अथवा नियोक्ता प्राधिकारी जैसी भी नियत करे उस बढ़ाई गई अवधि के अन्दर कार्यभार संभालने में असफल हो जाता है तो नियुक्ति आदेश रद्द मान लिया जाएगा।

18. साक्षात्कारों में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ते की अदायगी—किसी पद के चयन से संबंधित लिये जाने वाले साक्षात्कार और अथवा लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए सभी उम्मीदवार तैनाती/निवास स्थल से साक्षात्कार/लिखित परीक्षा स्थल तक रेल द्वारा जाने और वापस आने के लिए प्रथम श्रेणी वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

19. निर्वचन अगर इन विनियमों के निर्वचन अथवा ऐसे किसी मामले जिसको इसमें ऊपर उल्लिखित अथवा तत्पश्चात उपबंधित नहीं किया गया है, के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

20. निरसन तथा व्यावृत्ति—इन विनियमों के तत्समान ऐसे सभी विनियम प्रक्रियाएं, पद्धतियां और रीतियां और जो इन विनियमों के प्रारंभ होने से तत्काल पूर्व लागू है एतद्द्वारा निरसित की जाती है

परन्तु कि इस प्रकार निरसित विनियम प्रक्रियाओं, पद्धतियों और रीतियों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की किसी कार्रवाई को इन विनियमों के तत्समान प्रावधानों के अधीन दिया गया अथवा किया गया माना जाएगा।

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
			कांडला पोर्ट ट्रस्ट			
सचिव	रु. 2090-2890	चयन पद	45 वर्ष	आवश्यक : (क) शैक्षणिक अर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष (ख) अनुभव किसी महा पत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में प्रबन्धकार की हैसियत से प्रशासनिक कार्मिक/सामान्य प्रबन्ध से संबंधित काम करने का 10 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : कार्मिक प्रबन्ध/औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा विधि में स्नातक डिग्री :	आयु : नहीं अर्हताएं-हां	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद/श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
8	9	10
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति महा पत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने उप सचिव के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक न होगी।)	(1) अपर सचिव/संयुक्त सचिव जल भूतल परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (3) जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में वृहद् अनुभव प्राप्त हो। —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी	2090-2890	चयन पद	45 वर्ष	किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर अथवा स्वायत्त निकाय के वित्त विभाग में प्रबन्धकार की हैसियत से कम से कम 5 वर्ष काम करने के अनुभव सहित भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान की सदस्यता (सी.ए.)/भारतीय लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान की सदस्यता (आई. सी. डब्ल्यू.ए.)	आयु : नहीं अर्हताएं : केन्द्रीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवाओं वाले तथा एस.ए.एस. अर्हताएं धारित करने वाले अधिकारियों के मामले में शिथिलनीय	2 वर्ष

8	9	10
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा है किसी महा पत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने उप वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्ष की सेवा की हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी ।)	(1) अवर सचिव/संयुक्त सचिव जलभूतल परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (2) वित्त सलाहकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय —सदस्य (3) अध्यक्ष : कांडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
यातायात प्रबन्धक	2090–2890	चयन पद	45 वर्ष	शिक्षा : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समतुल्य अनुभव : किसी महा पत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में प्रबन्धकार की हैसियत से अधिमानतः महा पत्तन से सम्बंधित समुद्री यातायात/परिवहन कार्य का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव ।	आयु : नहीं अर्हताएं : हां	2 वर्ष

8	9	10
प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी महा पत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने उप यातायात प्रबंधक के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी ।)	(1) अवर सचिव/संयुक्त सचिव, जल भूतल परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (3) जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में वृहद अनुभव प्राप्त हो । —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य यांत्रिक अभियंता	2090–2890	चयन पद	45 वर्ष	आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक अथवा विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा समकक्ष अथवा प्रथम श्रेणी में एम ओ टी सर्टिफिकेट अथवा समकक्ष अनुभव : किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में प्रबंधकार की हैसियत से यांत्रिक, विद्युत अथवा समुद्री अभियांत्रिकी कार्य का 10 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : प्रोजैक्ट प्रबन्ध और औजार के परिचालन तथा उपस्कर व पोर्ट जलयान के प्रहस्तन में उत्तरदायित्वपूर्ण पद का अनुभव ।	आयु : नहीं अर्हताएं : हां	2 वर्ष

8	9	10
प्रोन्नति द्वारा जिसके हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी महा पत्तन/न्यास/सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने अधिशासी अभियंता के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक न होगी ।)	(1) अवर सचिव/संयुक्त सचिव जल भूतल परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट, —सदस्य (3) जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में वृहद् अनुभव हो । —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
उप संरक्षक	2450-3350	चयन पद	45 वर्ष	आवश्यक : (1) व्यावसायिक जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेश गामी जलयान के मास्टर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष · (2) अनुभव : विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में कार्य करने का अथवा किसी महा पत्तन न्यास में पाइलट कार्य और निकर्षण कार्य का 10 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : पोर्ट परिचालन का अनुभव	आयु : नहीं अर्हताएं : हां	2 वर्ष

8	9	10
प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी महा पत्तन में सदृश पद धारण करने वाला अधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसने हार्बर मास्टर के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार तीन वर्षों की सेवा की हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी ।)	(1) अवर सचिव/संयुक्त सचिव जल भूतल परिवहन मंत्रालय --अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट --सदस्य (3) जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में बृहद् अनुभव प्राप्त हो। --सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1760-2670	चयन पद	45 वर्ष	(क) शैक्षणिक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का चिकित्सा स्नातक होना चाहिए साथ ही चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त हो। (ख) अनुभव : महा पत्तन न्यास/सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभाग/स्वायत्त अथवा पब्लिक सैक्टर संगठन से संबंधित किसी मुख्य चिकित्सालय में कम से कम 5 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित कम से कम 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ।	आयु : नहीं अर्हताएं : हां	2 वर्ष

8	9	10
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति द्वारा ऐसा अधिकारी जिसने कांडला पोर्ट ट्रस्ट में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवाएं की हों। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी महा पत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक न होगी)	(1) अवर सचिव/संयुक्त जल भूतल परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (3) जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत चिकित्सा विशेषज्ञ। —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य अभियंता	2400-3300	चयन पद	45 वर्ष	अनिवार्य : (i) शैक्षणिक अर्हताएं किसी मान्य विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा समतुल्य। (ii) अनुभव प्रबन्धकीय क्षमता का कम से कम 15 वर्षों का अनुभव जिसमें महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में पोर्ट आयोजन तथा निर्माण कार्य का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव सम्मिलित है।	आयु : मुख्य अर्हताएं : हां	2 वर्ष

8	9	10
प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा महा पत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में समकक्ष पद पर काम करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने अधीक्षक अभियंता उप मुख्य अभियंता के समतुल्य निचले पद अथवा उच्चतर पद पर लगातार पांच वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक न होगी।	(1) अवर सचिव/संयुक्त सचिव, जल भूतल परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (3) विकास सलाहकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय —सदस्य

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1991

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[PR-12012/14/90-PE.I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Annexure—XVI

Redo. No. 44

DRAFT MODEL REGULATIONS

The Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1990.

In exercise of the powers conferred by section 28, read with section 124, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement — (i) These regulations may be called the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1990.

(ii) They shall come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. Application — They shall apply to all posts covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

3. Definitions — In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) "appointing authority" means the authority empowered under the Act to make appointment to that post;

(c) "Board", "Chairman", Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act;

(d) 'direct recruit' means a person recruited upon application for direct recruitment to a post of head of department on the basis of an examination or interview, or both and includes a person already in the Board's service who may, upon application for direct recruitment, be allowed to appear for such examination or interview, or both, and is selected;

(e) 'Schedule' means the Schedule appended to these regulations;

(f) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings assigned to them in clauses (24) and (25) of article 365 of the Constitution of India;

(g) "selection post" means a post to which appointment is to be made on the basis of merit;

(h) "Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 11 for the purpose of making recommendation for transfer/deputation, promotion or direct recruitment of a candidate to a post of head of department;

(i) "analogous posts" means a post of which the duties and level of responsibilities and/or the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made;

(j) 'Employees on probation' means the incumbent appointed to the post on probation under these Regulations and in whose case the successful completion of probation period has not yet been ordered by a competent authority.

4. Appointment — All appointments to posts of heads of department to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointments may be made either by promotion, transfer/or deputation of employees or by direct recruitment.

5. Method of recruitment — The method of recruitment, the qualifications in respect of age, education, training, requirements of minimum experience, essential and/or desirable, classification of posts as selection posts and other matters connected with the appointment to various posts shall be as shown in the Schedule:

Provided that the prescribed upper age limit may be relaxed.

(i) by the Central Govt. upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and upto 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years;

(ii) in the case of a candidate belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, in accordance with such orders as the Central Govt. may issue from time to time for appointment to services or posts under it in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:

Provided further that the prescribed educational and other qualifications may, for good and sufficient reasons, be relaxed by the Central Govt., if a candidate is otherwise found suitable and well qualified.

6. Probation — (1) Every person appointed to a post of head of department specified in column 2 of the Schedule, whether by direct recruitment or by promotion or transfer/deputation, shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) and sub-regulation (3) of Regulation 8 be on probation for a period of two years. (2) The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed the initial period of the probation prescribed.

7. Confirmation — (1) When a person appointed on probation to a post of head of department has completed his probation to the satisfaction of the appointing authority, the appointing authority shall convey its approval to that effect. He shall also be eligible for confirmation in that post if he is not confirmed in a lower post earlier held by him under the Board. (2) Until a head of department on probation is confirmed/declared to have completed probation to the satisfaction of the appointing authority under this regulation or is discharged or reverted under regulation 8, he shall continue to have the status of an employees on probation.

8. Discharge or reversion of head of department on probation:—

(1) A person appointed on probation to a post of head of department who has no lien on any post shall be liable to be discharged from service at any time on the basis of his performance or conduct during the period of probation, he is considered unfit for further retention in service;

(2) A head of department on probation who holds a lien on a post may be reverted at any time in the circumstances specified in sub-regulation (1).

(3) A head of department on probation who is not considered suitable for confirmation or who has not completed probation to the satisfication of the appointing authority at the end of the period of probation prescribed in regulation 6, shall be discharged or reverted in accordance with sub-regulation (1) or sub-regulation (2), as the case may be.

9. Application for direct recruitment — A candidate for appointment by direct recruitment shall apply before such date in such form and in such manner as may from time to time be prescribed by the Chairman. He shall also submit such proof of his age, qualifications or experience, as the Chairman may require.

10. Eligibility and disqualifications for direct recruitment—

(1) In order to be eligible for direct recruitment to a post of head of department, a candidate must be—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan or refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality, as the Chairman may, from time to time require :

Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

(2) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse alive, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply :

Provided that the appointing authority may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this sub-regulation.

(3) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment.

(4) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any other requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Govt.

(5) The Central Govt., may modify or waive any of the requirements of sub-regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.

(6) Physical fitness of candidate — A candidate shall be in good mental and bodily health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as a head of department. A candidate who, after such medical examination as the appointing authority may specify, is found not to satisfy these requirements will not be appointed provided that a candidate already in the service of the Board or any other Central Govt. organisation shall not be required to undergo such medical examination.

11. Selection Committee –(1) A Selection Committee may be constituted to advise and assist the appointing authority in the matter of making selection of candidates for appointment to posts of heads of department.

(2) The Selection Committee shall be composed of the following persons, namely :-

(i) Additional Secretary/Joint Secrtary to the Govt. of India, Ministry of Surface Transport	– Chairman
(ii) Chairman, Kandla Port Trust	—Member
(iii) Any other officer having wide experience as may be nominated by the Central Govt.	—Member

12. Manner of recruitment — (1) (a) When a post of head of department to which these regulations apply falls vacant and is to be filled by promotion/transfer/deputation, the Chairman shall forward to the appointing authority names, age, qualifications, experience and other relevant particulars of all officers who are eligible for promotion/transfer/deputation to the post, together with his recommendations wherever the Schedule provides for deputation also, the Chairman may if considered necessary or if directed by the Central Govt. call for application from eligible candidates from other Major Port Trusts/Central/State Govts./Public Sector units/autonomous bodies (b) The appointing authority may, on receipt of such information either--

(i) make an appointment by promotion/transfer/deputation from amongst the candidates so sponsoreds or

(ii) refer the candidates to the Selection Committee referred to in regulation 11 with directions to scrutinise the case and make appropriate recommendation and then make an appointment by promotion/transfer/deputation on the basis of such recommendation, or

(iii) direct that the vacancy be filled by direct recruitment in the manner laid down in these regulations.

(2) All appointments by direct recruitment shall be made by the appointing authority on the recommendations of the Selection Committee; provided that it shall be open to the appointing authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept such recommendation in any particular case.

13. Advertisement of posts — Vacancies intended to be filled by direct recruitment shall be advertised and a copy of the advertisement shall be sent to the local Employment Exchange.

14. Canvassing support shall be disqualification -- Any endeavour on the part of a person or his relations or friends to canvass support by direct or indirect method for his application for appointment to a post of head of department to which these regulations apply shall disqualify him for the appointment.

15. Suppression of facts — Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or to have suppressed material information of a character which, if known, would ordinarily have debarred him from getting an appointment in the Board's service is liable to be disqualified and, if appointed, to be discharged from service.

16. Eligibility of existing employees for direct recruitment — When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided that they possess the prescribed qualifications and experience.

17. Cancellation of appointment orders – If a candidate selected for direct appointment to a post fails to join duty within the date mentioned in the appointment order and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the appointment order, or within such extended period as the appointing authority may fix, the appointment order shall be deemed to have been cancelled.

18. Payment of travelling allowance for attending interview — All candidates called for interview and/or written test in connection with selection to a post shall be entitled to reimbursement of travel expenses from the place of posting/residence to the venue of interview/written test and back by rail in first class or the actual expenditure whiachever is less.

19. Interpretation — If any question arises as to the interpretation of these regulations or in respect of any matter not hereinabove or subsequently provided for, the same shall be decided by the Central Govt.

20. Repeal and Savings — All regulations, procedures, practices and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

Name of post	Pay-scale	Whether selection or Non-selection post.	Age limit for direct recruitment	Education & other qualifications required for direct recruitment	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/deputation.	Period of probation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KANDLA PORT TRUST						
Secretary	Rs. 2090–2890	Selection post	45 years	ESSENTIAL : (a) Educational qualification : Degree of a recognised University or equivalent. (b) EXPERIENCE : 10 years experience in a managerial position dealing with administration/ personnel/general management in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Deptt./Public Sector or Autonomous Body. DESIRABLE : Post-graduate Degree/ Diploma in Personnel Management/Industrial Relations or Bachelor Degree in Law.	Age : No Qualification : Yes	2 years

Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer.	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which deputation/transfer to be made.	The composition of Selection Committee
(8)	(9)	(10)
By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment.	PROMTION/TRANSFER/DEPUTATION Officers holding analogous posts or with 5 years regular service in the lowest post equivalent to or above Deputy Secretary in Major Port Trust/Govt. or Semi Govt. Deptt./Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	(i) Additional Secretary Joint Secretary, Ministry of Surface Transport —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An Officer having wide experience in the field nominated by Ministry of Surface Transport —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Financial Adviser & Chief Accounts Officer.	2090–2890	Selection post	45 years	Membership of the Institute of the Chartered Accountants of India (C.A.)/Membership of the Institute of Costs and Works Accounts of India (I.C.W.A.) with not less than 5 years experience in a managerial position in a Finance Department of a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Deptt./Public Sector or Autonomous Body.	Age : No QUALIFICATION : Relaxable in the case of Officers belonging to Central Accounts & Audit services and those with SAS Qualification.	2 years

(8)	(9)	(10)
By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion/transfer/deputation : Officers having analogous posts or having 5 years regular service in the lower post equivalent to or above Dy. FA & CAO in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Deptt./Public Sector or Autonomous body. (Period of deputation not to exceed ordinarily three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Surface Trasport — Chairman (ii) Financial Adviser, Ministry of Surface Transport — Member (iii) Chairman, Kandla Port Trust — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Traffic Manager	2090–2890	Selection post	45 years	EDUCATION : Degree of a recognised University or equivalent. EXPERIENCE : At least 10 years experience in a managerial capacity dealling with sea traffic/transportation, preferably connected with a Major Port in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Department/Public Sector or autonomous body.	Age : No. Qualification : Yes	2 years

(8)	(9)	(10)
By promotion/transfer/deputation failing which by direct recruitment.	By promotion/transfer/Deputation : Officers holding analogous posts or with 5 years regular service in the lower post equivalent to or above Deputy Traffic Manager in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Department/Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years.	(i) Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Surface Transport —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An Officer having wide experience in the field to be nominated by the Ministry of Surface Transport —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chief Mechanical Engineer	2090–2890	Selection post	45 years	Essential Educational Qualifications : Degree in Mech. or Elect. Engineering from a recognised Universiry or equivalent OR First Class MOT Certificate (Motor) or equivalent. EXPERIENCE : 10 years experience in a managerial capacity dealing with mechanical, electrical or marrine engg. works in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Department/Public Sector or Autonomous body. DESIRABLE : Experience in a responsible position in Project Management and in operation of cargo and handling equipment and port crafts.	Age : No. Qualification : Yes.	2 years

(8)	(9)	(10)
By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment.	By promotion/transfer/deputation : Officers holding analogous posts or having 5 years regular service in the lower post equivalent to or above Executive Engineer in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. department/Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary Ministry of Surface Transport —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An Officer having wide experience in the field as nominated by the Ministry of Surface Transport. —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Conservator	2450–3350	Selection post	45 years	ESSENTIAL : (i) Professional : Certificate of competency as Master of foreign-going vessel issued by Ministry of Surface Transport, or equivalent. (ii) Experience : 10 years experience as Master of foreign-going ship or in pilotage and dredging in a Major Port Trust. DESIRABLE : Experience in Port Operations.	Age : No Qualification : Yes	2 years

(8)	(9)	(10)
By promotion/transfer/deputation failing which by direct recruitment.	By promotion/transfer/deputation : Officer holding analogous posts or with three years regular service in the lower post equivalent to or above Harbour Master in any Major Port. (Period of deputation not to exceed ordinarily three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Surface Transport —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An Officer having wide experience in the field as nominated by Ministry of Surface Transport. —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chief Medical Officer	1760–2670	Selection post	45 years	(a) Educational Qualifications: Should be a Medical Graduate of a recognised University with the post-graduate degree/diploma in any branch of medical science. (b) EXPERIENCE : Should have at least 10 years of professional experience including at least 5 years administrative experience in any Major Hospital belonging to Major Port Trust/Govt. or semi-Govt. Department/Autonomous or Public Sector Organisation.	Age : No Qualification : Yes	2 years

(8)	(9)	(10)
By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment.	By Promotion : Officer with 5 years regular service as Senior Medical Officer in Kandla Port Trust. By Transfer/deputation : Officers holding analogous posts or with 5 years regular service in the lower post equivalent to or above Senior Medical Officer in any Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Department/Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary Ministry of Surface Transport —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) A medical expert as nominated by Ministry of Surface Transport —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chief Engineer	2400–3300	Selection post	45 years	ESSENTIAL : Educational qualification : A degree in Civil Engineering of a recognised universiry or equivalent EXPERIENCE : At least 15 years experience in a managerial capacity with at least 7 years in Port Planning and construction in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Department/ Public Sector or Autonomous body. DESIRABLE : Experience in Project Management in a responsible position.	Age : No Qualification : Yes	2 years

(8)	(9)	(10)
By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment.	By promotion/Transfer/Deputation : Officers holding analogous post or with five years regular service in the lower post equivalent to or above Supdt. Engineer/Dy. Chief Engineer in any Major Post Trust/Govt. or Semi Govt. Department/Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation shall not exceed ordinarily three years).	(i) Addiitional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Surface Transport —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) Development Advisor, Ministry of Surface Transport —Member

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991